न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 40/2015

1 प्रहलाद पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 बदरूराम पुत्र श्री देवा जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृत्यु
1/1 भतेरी स्त्री स्व. बदरूराम जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
1/2 सतेन्द्र पुत्र स्व. बदरूराम जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
1/3 अन्तरसिंह पुत्र स्व. बदरूराम जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 मृतक पीरू श्योदान जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृत्यु
2/1 निवास पुत्र स्व. पीरू जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2/2 धर्मपाल पुत्र स्व. पीरू जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2/3 राजेन्द्र पुत्र स्व. पीरू जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2/4 सहीराम पुत्र स्व. पीरू जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2/5 जोगेन्द्र पुत्र स्व पीरू जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 फुला पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 सुमेर पुत्र मनभर जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 किताबो पुत्री मनभर जाति जाट निवासी रायपुर जाटान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 सन्तोष पुत्री मनभर स्त्री हरिसिंह जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 सुमित्रा पुत्री मनभर स्त्री अमीलाल जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
8 बलदेव सिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9 धर्मपाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
10 महीपाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
11 महासिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 रणजीत सिंह पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
13 जयकरण पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जीवन निवास बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी बदरूराम बनाम प्रहलाद वगै. मु.नं. 476/2010 (67/2009) दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 476/2010 (67/2009) में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 11 तादादी 4 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 20 तादादी 11 बीघा 19 बिश्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम जीवन निवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं में स्थित है। दौराने पैमाईस जमीन गत खसरा नम्बर 11/2 व 12/2 के हाल खसरा नम्बर 21 बने तथा जमीन गत खसरा नम्बर 11/1 व 12/1 के हाल खसरा नम्बर 22 रकबा 1.29 है. बने गत खसरा नम्बर 22 के हाल खसरा नम्बर 50 व 51 बने। उक्त जमीन पहले खेतड़ी तहसील में थी बाद में बुहाना तहसील बनने के कारण उक्त ग्राम की जमीन बुहाना तहसील के अधिकार क्षेत्र में गई। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 27.02.2015 को अंतिम रूप से डिकी कर निर्णित कर दिया । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिकी जैर बहस मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित किया है। कानून से मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। मौजुदा प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नम्बर 2 पीरू पुत्र श्योदान का देहान्त निर्णय पारित करने में करीब 2 वर्ष पुर्व देहान्त हो चुका था। निर्णय पारित करने से पूर्व बदरूराम ने पीरू के जायज वारिसान को रिकार्ड पर कायम मुकाम नहीं बनाया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने से पूर्व मृतक पीरू के वारिसान को नहीं सुना। इस प्रकार निर्णय व डिक्री जैर बहस कानूनी रूप से सही नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अपील में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2/2 से 2/5 पीरू के वारिस है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब देही को नजर अंदाज किया। सेटलमेंट के दौरान अपीलान्ट के नाम जमीन सही रूप से दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2, 3 व 4 को निर्णय एक साथ कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में निर्णित करने में कानूनी गलती की है। तनकी नम्बर 2, 3 व 4 पारस्परिक रूप से एक समान नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 2, 3 व 4 को पारस्परिक रूप से एक समान मानने कानूनी गलती की है। जो तनकीयात कानून से एक समान नहीं होती है तथा एक तनकी का निर्णय दुसरी तनकी पर निर्भर नहीं हो उन तनकीयात का निर्णय कानून से एक साथ निर्णित नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 से 4 का निर्णय पारित करने में ज्युडिसियल माईण्ड अप्लाई नहीं किया तथा दावा व जवाब दावा को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 से 4 का निर्णय एक साथ कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में निर्णित करने में भारी कानूनी भूल की है। मौजुदा वाद पत्र में तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 प्रहलाद पर था ।कानून से वादी व प्रतिवादी की तनकी का निर्णय एक साथ नहीं किया जा सकता। अगर तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय किया जाता है तो उसके साथ तनकी संख्या 4 का निर्णय कानून से नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 का निर्णय भी प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। इस कारण निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजात रिकार्ड पर वादी ने पेश नहीं किया जिससे वाद साबित होता हो। विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री करने का कोई कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। इस प्रकार निर्णय व डिक्री जैर बहस प्राकृतिक न्याय

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें। अपीलान्ट ने वरवक्त बहस आदेश 41 नियम 22 का आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमीन गत खसरा नम्बर 11 तादादी 4 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 20 तादादी 11 बीघा 19 बिश्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम जीवन निवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं में स्थित है। दौराने पैमाईस जमीन गत खसरा नम्बर 11/2 व 12/2 के हाल खसरा नम्बर 21 बने तथा जमीन गत खसरा नम्बर 11/1 व 12/1 के हाल खसरा नम्बर 22 रकबा 1.29 है. बने गत खसरा नम्बर 22 के हाल खसरा नम्बर 50 व 51 बने। उक्त जमीन पहले खेतड़ी तहसील में थी बाद में बुहाना तहसील बनने के कारण उक्त ग्राम की जमीन बुहाना तहसील के अधिकार क्षेत्र में गई। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 27.02.2015 को अंतिम रूप से डिक्री कर निर्णित कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में कुल 13 प्रतिवादीगण थे। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 22 बहस के स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है। खारिज किया जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन गत खसरा नम्बर 11 तादादी 4 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 10 बीघा 15 बिश्वा, खसरा नम्बर 20 तादादी 11 बीघा 19 बिश्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 26 बीघा 18 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम जीवन निवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं में स्थित है। दौराने पैमाईस जमीन गत खसरा नम्बर 11/2 व 12/2 के हाल खसरा नम्बर 21 बने तथा जमीन गत खसरा नम्बर 11/1 व 12/1 के हाल खसरा नम्बर 22 रकबा 1.29 है. बने गत खसरा नम्बर 22 के हाल खसरा नम्बर 50 व 51 बने। उक्त जमीन पहले खेतड़ी तहसील में थी बाद में बुहाना तहसील बनने के कारण उक्त ग्राम की जमीन बुहाना तहसील के अधिकार क्षेत्र में गई। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 27.02.2015 को अंतिम रूप से डिक्री कर निर्णित कर दिया।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित करने के दो पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 2 पीरू पुत्र श्योदान का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में 5 तनकीयात कायम की गई थी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रत्येक तनकी का पृथक से विवेचन कर निस्तारण किये बिना तनकी संख्या 2, 3, 4 का एक साथ निर्णय कर आदेश 20 नियम 5 के विधिक प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित किया हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाता है कि मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया की पालना में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर